न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4047–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2015 पारित द्वारा तहसीलदार डॉ. अंबेडकर नगर महू जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 37/अ–70/2014–15

.....

सुदामा पिता लक्ष्मीनारायण
निवासी ग्राम नावदा तहसील महू जिला इंदौर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

अयोध्याबाई पति रूपसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम पानदा तहसील महू जिला इंदौर म0प्र0

..... अनावेदक

– – –

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार डॉ. अंबेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय महू के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 एवं धारा 250(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम नावदा तहसील महू स्थित भूमि सर्वे कमांक 40/1 रकबा 0.182 हेक्टेयर का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा उपस्थित होकर

व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की पैतृक संपत्ति है । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर विधिवत् विचार कर पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 से उसे निरस्त किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र का बिना परीक्षण किये निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अनावेदक द्वारा भूमि का बटांकन करवाये बिना संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो विधि प्रकिया के दुरूपयोग की श्रेणी में होकर निरस्त योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को बिना कारण दर्शाये निरस्त कर दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 निरस्त करते हुये आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता का आवेदन सकारण निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तहसील न्यायालय द्वारा नहीं की गई है । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम

11 के अन्तर्गत इस आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उनकी पैतृक भूमि होकर उनके स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है, परन्तु उक्त आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक की ओर ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि होकर उनके स्वामित्व की भूमि है । अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार डॉ. अंबेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर